भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न स.1168

दिनांक 27 जुलाई, 2021 को उत्तरार्थ

ई-पंचायत सुविधा

†1168. श्री विद्युत बरन महतोः

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

श्री चंद्र शेखर साहूः

श्री सुधीर गुप्ताः

श्री प्रतापराव जाधवः

श्री रवि किशनः

श्री रविन्दर कुशवाहाः

श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

श्री सुब्रत पाठकः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार पंचायतों के कार्यकरण में सुधार के लिए देश में ई-पंचायत सुविधा कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में ई-पंचायतों के संबंध में की गई प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) देश में कितनी पंचायतों का डिजिटलीकरण किया गया है और कितनी पंचायतों का डिजिटलीकरण किया जाना बाकी है;

(घ) देश में सभी पंचायतों के डिजिटलीकरण के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ङ) क्या सरकार देश में ग्राम पंचायत भवनों जैसी आधारभूत सुविधाओं के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है; और

(च) यदि हां तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल)

(क) जी श्रीमान। सरकार पंचायतों के कामकाज में सुधार के लिए देश में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के एक भाग के रूप में ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना के तहत ई-ग्राम स्वराज को लागू कर रही है। ई-ग्रामस्वराज, ई-ग्राम स्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान सहित पंचायत के कामकाज के विभिन्न पहलुओं अर्थात योजना, लेखा, बजट बनाना को संबोधित करता है।

(ख) अब तक वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 2,53,716 ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार की जा चुकी हैं। चालू वर्ष 2021-22 में 2,25,153 ग्राम पंचायतों ने लेखांकन के उद्देश्य से ई-ग्रामस्वराज को अपनाया है। इसके अलावा, 2,24,671 पंचायती राज संस्थानों ने ऑनलाइन लेनदेन करने के लिए ई-ग्राम स्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस को ऑनबोर्ड किया है। 2020-21 के दौरान 1,54,091 ग्राम पंचायतों ने कुल रु. 48,299 करोड़ (सभी ऑनबोर्ड योजनाओं सहित) का ऑनलाइन भुगतान ईग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस के माध्यम से किया है। चालू वर्ष 2021-22 के लिए, 1,09,565 पंचायती राज संस्थानों ने रु. 7,699 करोड़ का ऑनलाइन भुगतान किया है। राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) देश में सभी ग्राम पंचायतों और समकक्षों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। 16.07.2021 तक, देश में कुल 1,58,266 ग्राम पंचायतों (ब्लॉक मुख्यालयों सहित) को सेवा के लिए तैयार किया गया है।

(घ) COVID-19 संबंधित लॉकडाउन और प्रतिबंधों के कारण परियोजना के पूरा होने की लक्षित तिथि अगस्त 2021 से अगस्त 2023 तक बढ़ा दी गई है।

(ङ) जी श्रीमान। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की पुनर्गठित योजना के तहत, यह मंत्रालय राज्यों को पंचायत घर/भवन जैसी ढांचागत सुविधाओं के लिए सीमित पैमाने पर रुपये 20 लाख की दर से नया पंचायत भवन के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा कर रहा है। इसके अलावा, राज्यों को सलाह दी गई है कि ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण और मरम्मत 14वें वित्त आयोग के अव्ययित अनुदान, XV वित्त आयोग के आबद्ध अनुदान, मनरेगा, राज्य वित्त आयोग निधियों और स्वयं आय के स्रोतों के अभिसरण के माध्यम से किया जा सकता है।

(च) आरजीएसए के तहत स्वीकृत पंचायत भवनों की संख्या और कुल जारी की गई धनराशि (पंचायत भवनों सहित) का राज्यवार विवरण क्रमशः अनुबंध-II और अनुबंध-III में दिया गया है। 14वें वित्त आयोग और XV वित्त आयोग के तहत जारी की गई निधियों का राज्यवार विवरण क्रमशः अनुबंध-IV और अनुलग्नक-V में दिया गया है।

*****

<u>अनुबंध- I</u>

'ई-पंचायत सुविधा' के संबंध में दिनांक 27.07.2021 को लोकसभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1168 के उत्तर के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

ई-ग्राम स्वराज-राज्यवार उपयोग (2021-22)

#	राज्यों के नाम	पीएफएमएस स्कीम लागू है	ग्राम पंचायतों एवं उनके समकक्ष की कुल संख्या	अपलोड की गई जीपीडीपी	पोर्ट की गई ग्राम पंचायतें	ब्लॉक पंचायतों एवं उनके समकक्ष की कुल संख्या	पोर्ट की गई ब्लॉक पंचायतें	जिला पंचायतों एवं उनके समकक्ष की कुल संख्या	पोर्ट की गई जिला पंचायतें	ऑनबोर्ड ग्राम पंचायतें	ऑनलाइन भुगतान वाली ग्राम पंचायतें एवं समकक्ष
1	आंध्र प्रदेश		13371	13348	0	660	0	13	0	205	0
2	अरुणाचल प्रदेश	Y	2106	1570	1581	178	0	25	0	0	0
3	असम	Y	2663	2180	2155	192	166	29	26	2197	1483
4	बिहार	Y	8387	8363	8377	534	532	38	38	8381	6857
5	छत्तीसगढ़	Y	11658	11661	11662	146	140	27	27	11656	4677
6	गोवा	Y	191	191	190	0	0	2	2	189	106
7	गुजरात	Y	14256	14037	13935	248	0	33	0	14038	324
8	हरियाणा	Y	6234	6114	6172	126	120	21	21	6009	1355
9	हिमाचल प्रदेश	Y	3615	3202	3532	81	0	12	10	1055	21
10	झारखंड	Y	4359	4288	4362	263	258	24	24	4363	3042

#	राज्यों के नाम	पीएफएमएस स्कीम लागू है	ग्राम पंचायतों एवं उनके समकक्ष की कुल संख्या	अपलोड की गई जीपीडीपी	पोर्ट की गई ग्राम पंचायतें	ब्लॉक पंचायतों एवं उनके समकक्ष की कुल संख्या	पोर्ट की गई ब्लॉक पंचायतें	जिला पंचायतों एवं उनके समकक्ष की कुल संख्या	पोर्ट की गई जिला पंचायतें	ऑनबोर्ड ग्राम पंचायतें	ऑनलाइन भुगतान वाली ग्राम पंचायतें एवं समकक्ष
11	कर्नाटक	Y	6006	5947	5998	227	225	30	30	6006	5301
12	केरल	Y	941	941	927	152	121	14	9	889	1
13	मध्य प्रदेश	Y	22782	22686	22808	313	312	51	51	22807	16856
14	महाराष्ट्र	Y	27888	27869	26817	351	43	34	4	25102	4652
15	मणिपुर	Y	3812	2628	161	0	0	12	6	161	85
16	मेघालय	Y	6758	0	0	2240	0	0	0	0	0
17	मिजोरम	Y	834	834	834	0	0	0	0	834	388
18	नागालैंड	Y	1281	1195	0	0	0	0	0	0	0
19	उड़ीसा	Y	6798	6775	6798	314	314	30	30	6798	5466
20	पंजाब	Y	13268	13205	13157	151	146	22	21	13212	6881
21	राजस्थान	Y	11341	11239	10937	352	262	33	32	8858	3946
22	सिक्किम	Y	185	182	179	0	0	4	1	56	7
23	तमिलनाडु	Y	12525	12410	12439	388	335	37	36	12415	3248
24	तेलंगाना		12769	12769	0	540	0	32	0	13	0
25	त्रिपुरा	Y	1178	1177	1178	75	75	9	9	1178	564
26	उत्तराखंड	Y	7791	7791	7754	95	55	13	13	7791	4161
27	उत्तर प्रदेश	Y	58323	57898	57962	827	724	75	75	58621	37621

#	राज्यों के नाम	पीएफएमएस स्कीम लागू है	ग्राम पंचायतों एवं उनके समकक्ष की कुल संख्या	अपलोड की गई जीपीडीपी	पोर्ट की गई ग्राम पंचायतें	ब्लॉक पंचायतों एवं उनके समकक्ष की कुल संख्या	पोर्ट की गई ब्लॉक पंचायतें	जिला पंचायतों एवं उनके समकक्ष की कुल संख्या	पोर्ट की गई जिला पंचायतें	ऑनबोर्ड ग्राम पंचायतें	ऑनलाइन भुगतान वाली ग्राम पंचायतें एवं समकक्ष
28	पश्चिम बंगाल	Y	3340	3216	3204	342	331	22	21	3123	2523
कुल			**264660**	**253716**	**223119**	**8795**	**4159**	**642**	**486**	**215957**	**109565**

अनुबंध- II

'ई-पंचायत सुविधा' के संबंध में दिनांक 27.07.2021 को लोकसभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1168 के उत्तर भाग (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

<table>
<tr><th colspan="6">वर्षवार अनुमोदित पंचायत भवन की संख्या</th></tr>
<tr><th rowspan="2">SL. No</th><th rowspan="2">State /UT</th><th>2018-19</th><th>2019-20</th><th>2020-21</th><th>2021-22</th></tr>
<tr><th>अनुमोदित</th><th>अनुमोदित</th><th>अनुमोदित</th><th>अनुमोदित</th></tr>
<tr><td>1</td><td>अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह</td><td>0</td><td>7</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>आंध्र प्रदेश</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>3</td><td>अरुणाचल प्रदेश</td><td>64</td><td>80</td><td>5</td><td>0*</td></tr>
<tr><td>4</td><td>असम</td><td>20</td><td>46</td><td>21</td><td>95</td></tr>
<tr><td>5</td><td>बिहार</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>500</td></tr>
<tr><td>6</td><td>छत्तीसगढ़</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>54</td></tr>
<tr><td>7</td><td>दादर एवं नगर हवेली</td><td>2</td><td>7</td><td rowspan="2">0</td><td rowspan="2">13</td></tr>
<tr><td>8</td><td>दमन एवं दीव</td><td>0</td><td>2</td></tr>
<tr><td>9</td><td>गोवा</td><td>1</td><td>4</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>10</td><td>गुजरात</td><td>20</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td></tr>
<tr><td>11</td><td>हरयाणा</td><td>39</td><td>383</td><td>383</td><td>383</td></tr>
<tr><td>12</td><td>हिमाचल प्रदेश</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>389</td></tr>
<tr><td>13</td><td>जम्मू एवं कश्मीर</td><td>100</td><td>250</td><td>250</td><td>742</td></tr>
<tr><td>14</td><td>झारखण्ड</td><td>25</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>15</td><td>कर्नाटक</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>100</td></tr>
<tr><td>16</td><td>केरल</td><td>5</td><td>4</td><td>9</td><td>8</td></tr>
<tr><td>17</td><td>लदाख</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>18</td><td>लक्षद्वीप</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>19</td><td>मध्य प्रदेश</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>100</td></tr>
<tr><td>20</td><td>महाराष्ट्र</td><td>218</td><td>420</td><td>420</td><td>420</td></tr>
<tr><td>21</td><td>मणिपुर</td><td>5</td><td>15</td><td>15</td><td>27</td></tr>
<tr><td>22</td><td>मिजोरम</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>23</td><td>मेघालय</td><td>5</td><td>13</td><td>0</td><td>15</td></tr>
<tr><td>24</td><td>नागालैंड</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>50</td></tr>
<tr><td>25</td><td>ओडिशा</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>26</td><td>पुडुचेरी</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td></tr>
</table>

वर्षवार अनुमोदित पंचायत भवन की संख्या					
SL. No	**State /UT**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
		अनुमोदित	**अनुमोदित**	**अनुमोदित**	**अनुमोदित**
27	पंजाब	350	351	351	259
28	राजस्थान	40	150	96	43
29	सिक्किम	2	12	10	5
30	तमिलनाडु	50	120	120	80
31	तेलंगाना	0	738	738	675
32	त्रिपुरा	5	15	15	29
33	उत्तर प्रदेश	300	2200	1506	1085
34	उत्तराखंड	50	100	100	0
35	पश्चिम बंगाल	0	2	4	4
कुल		**1301**	**4954**	**4079**	**5107**
*** राज्य सरकार ने २०२१ का वार्षिक योजना नहीं भेजी है**					

अनुबंध- III

'ई-पंचायत सुविधा' के संबंध में दिनांक 27.07.2021 को लोकसभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1168 के उत्तर भाग (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

आरजीएसए योजनाओं के तहत जारी निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(रुपये करोड़ में.)

क्र.स.	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	आंध्र प्रदेश	67.69	0	22.339	-
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	-
3	अरुणाचल प्रदेश	33.19	39.59	0	-
4	असम	39.21	23.22	26.1159	-
5	बिहार	4.25	0	0	23.433
6	छत्तीसगढ़	7.24	0	4.0395	7.929
7	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	-
8	दमन और दीव	0	0	0	-
9	गोवा	0	0	0	0.5949
10	गुजरात	0	0	0	-
11	हरियाणा	6.99	0	9.89	-
12	हिमाचल प्रदेश	17.26	10	22.098	-
13	जम्मू और कश्मीर	25.06	6.19	25.00	-
14	झारखंड	4.49	0	2.34	-
15	कर्नाटक	0	0	0.439	29.1495
16	केरल	7.68	0	8.12955	-
17	लक्षद्वीप	0	0	0	-
18	लद्दाख			2.1485	-
19	मध्य प्रदेश	62.79	85.48	71.42	47.1075
20	महाराष्ट्र	11.54	8.44	66.76	-

क्र.स.	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
21	मणिपुर	9.25	4.54	3.4127	-
22	मेघालय	4.44	2.63	3.967	-
23	मिजोरम	9.85	0.5	21.185	-
24	नागालैंड	7.89	3.94	3.7217	-
25	उड़ीसा	0	0	2.937	-
26	पंजाब	29.68	0	13.45	-
27	राजस्थान	25.57	0	12.981	-
28	सिक्किम	5.08	5.1	4.7475	-
29	तमिलनाडु	57.6	5.3	56.875	39.89
30	तेलंगाना	0	0	12	-
31	त्रिपुरा	2.77	0	2.5304	-
32	उत्तर प्रदेश	57.14	169.92	32.54	-
33	उत्तराखण्ड	33.05	23.79	26.751	-
34	पश्चिम बंगाल	54.94	44.10	33.52	15.14
	कुल	**584.65**	**432.74**	**491.3385**	**163.2439**

अनुबंध- IV

'ई-पंचायत सुविधा' के संबंध में दिनांक 27.07.2021 को लोकसभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1168 के उत्तर भाग (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

ग्राम पंचायतों के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 दिनांक 23.09.2020 के लिए राज्यों को चौदहवें वित्त आयोग द्वारा आवंटित और जारी किया गया अनुदान।

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2018-19		2019-20	
		आवंटन	वितरण	आवंटन	वितरण
1	आंध्र प्रदेश	1947.32	1729.23	2622.13	2336.56
2	अरुणाचल प्रदेश	184.49	163.83	248.44	221.38
3	असम	1218.82	1082.32	1641.19	1462.45
4	बिहार	4729.38	4199.71	6368.25	5674.7
5	छत्तीसगढ़	1180.02	1047.86	1588.94	1415.89
6	गोवा	30.1	26.73	40.53	36.12
7	गुजरात	1942.96	1725.36	2616.26	2331.33
8	हरियाणा	873.86	775.99	1176.68	1048.53
9	हिमाचल प्रदेश	407.24	361.63	548.36	488.64
10	जम्मू और कश्मीर	779.4	544.8262	1049.49	0
11	झारखंड	1360.62	1208.24	1832.12	1632.59
12	कर्नाटक	2090.1	1841.539	2814.39	2504.1309
13	केरल	904.03	802.78	1217.3	1084.73
14	मध्य प्रदेश	3050.41	2708.78	4107.48	3660.14

15	महाराष्ट्र	3383.28	3004.37	4555.7	4059.55
16	मणिपुर	46.36	41.17	62.43	55.63
17	उड़ीसा	1991.48	1768.44	2681.59	2389.54
18	पंजाब	920.58	817.48	1239.58	1104.58
19	राजस्थान	3067.8	2724.22	4130.9	3681.01
20	सिक्किम	33.41	29.67	44.99	40.09
21	तमिलनाडु	1975.07	1753.87	2659.5	1821.106
22	तेलंगाना	1209.53	1071.59	1628.68	1451.3
23	त्रिपुरा	75.53	67.07	101.71	90.625
24	उत्तर प्रदेश	8050.34	7148.74	10840.04	9659.47
25	उत्तराखंड	423.64	376.19	570.44	508.31
26	पश्चिम बंगाल	3193.39	2740.687	4300.01	3703.25
	कुल	**45069.16**	**39762.32**	**60687.13**	**52461.65**

<u>अनुबंध V</u>

'ई-पंचायत सुविधा' के संबंध में दिनांक 27.07.2021 को लोकसभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1168 के उत्तर भाग (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

स्थानीय ग्रामीण निकायों के लिए राज्य सरकार को पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) अनुदान का वर्ष-वार आवंटन और रिलीज

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2020-21		2021-22	
		आवंटन	वितरण	आवंटन	वितरण
1	आंध्र प्रदेश	2625.00	2625.00	1939.00	387.80
2	अरुणाचल प्रदेश	231.00	231.00	170.00	34.00
3	असम	1604.00	1604.00	1186.00	237.20
4	बिहार	5018.00	5018.00	3709.00	741.80
5	छत्तीसगढ़	1454.00	1454.00	1075.00	215.00
6	गोवा	75.00	37.50	55.00	0.00
7	गुजरात	3195.00	3195.00	2362.00	472.40
8	हरियाणा	1264.00	1264.00	935.00	187.00
9	हिमाचल प्रदेश	429.00	429.00	317.00	63.40
10	झारखंड	1689.00	1689.00	1249.00	249.80
11	कर्नाटक	3217.00	3217.00	2377.00	475.40
12	केरल	1628.00	1628.00	1203.00	240.60
13	मध्य प्रदेश	3984.00	3984.00	2944.00	588.80

क्र.सं.	राज्य	2020-21		2021-22	
		आवंटन	**वितरण**	**आवंटन**	**वितरण**
14	महाराष्ट्र	5827.00	5827.00	4307.00	861.40
15	मणिपुर	177.00	177.00	131.00	26.20
16	मेघालय	182.00	91.00	135.00	0.00
17	मिजोरम	93.00	93.00	69.00	13.80
18	नागालैंड	125.00	62.50	92.00	0.00
19	उड़ीसा	2258.00	2258.00	1669.00	333.80
20	पंजाब	1388.00	1388.00	1026.00	205.20
21	राजस्थान	3862.00	3862.00	2854.00	570.80
22	सिक्किम	42.00	42.00	31.00	6.20
23	तमिलनाडु	3607.00	3607.00	2666.00	533.20
24	तेलंगाना	1847.00	1847.00	1365.00	273.00
25	त्रिपुरा	191.00	191.00	141.00	28.20
26	उत्तर प्रदेश	9752.00	9752.00	7208.00	1441.60
27	उत्तराखंड	574.00	574.00	425.00	85.00
28	पश्चिम बंगाल	4412.00	4412.00	3261.00	652.20
	कुल	**60750.00**	**60559.00**	**44901.00**	**8923.80**